

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, वर्तमान या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फरम खिड़की केवल आवासीय योजनाएँ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 735 दिनांक 21/10/2020

प्राधी नरेन्द्र कुमार डा. श्री अनाराम कुमार

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7020/-

जरिये रसीद संख्या 9069/9866, 9867

दिनांक 21/10/2020 को जमा करा दी है ।

P.No = के-46 वीर कुर्दियस कोलारी

Pat 22/10/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

Sampal  
22/10/20

9413247650

जी +1  
आवासीय